न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2023 **दायर दिनांकः 10.04.2023**

उनवान

1. रामभरोस आयु 33 वर्ष पुत्र परमानन्द जाति धोबी निवासी कुंजेड हालमुकाम मधुवन रिसोर्ट के पास हनुमान नगर बारां जिला बारां (राज.)
2. रामकन्या बाई आयु 38 वर्ष पुत्री परमानन्द पत्नी मुरारीलाल जाति धोबी निवासी कुंजेड हाल मुकाम हनुमाननगर लंका कॉलोनी बारां जिला बारां (राज.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः

वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम एंव माल कुंजेड तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं. 50 का खसरा नं. 1283 का रकबा 0.02 है., खसरा नं. 1441 का रकबा 0.82 है., खसरा न. 1878/1011 का रकबा 0.24 है. कुल किता 3 का रकबा 1.08 है. आराजी वादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 1/3 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 का नाम रामभरोस पुत्र परमानन्द होते हुए भी कालूलाल पुत्र परमानन्द दर्ज कर दिया तथा वादनी क्रम 2 का नाम रामकन्या बाई पुत्री परमानन्द होते हुए भी कन्या बाई पुत्री परमानन्द दर्ज

कर दिया है, जो कि गलत दर्ज कर दिये है, चूंकि वादीगण को गाँव में दो नामो से जाना जाता भए जिसमे वादी क्रम 1 का एक अन्य नाम कालूलाल भी है तथा वादनी क्रम 2 का एक अन्य नाम कन्या बाई भी है। इसी वजह से सहवन से वादीगण के नाम वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में नामान्तरण दर्ज करते समय वादी क्रम 1 का कालूलाल पुत्र परमानन्द कर दिया तथा वादनी क्रम 2 का नाम कन्या बाई पुत्री परमानन्द कर दिया गया है। ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी क्रम 1 के दो नाम कालूलाल व रामभरोस बताया गया हैं जो कि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा वादनी क्रम 2 के दो नाम कन्या बाई व रामकन्या बाई बताया गया हैं जो कि दोनों एक ही महिला के नाम है। वादीगण के नाम आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में रामभरोस तथा रामकन्या बाई दर्ज है जो कि उनके वास्तविक नाम है। इन सभी दस्तावेजात के आधार पर वादीगण वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु दिनांक 29/03/2023 को प्रतिवादी के पास गये और उनसे नाम दुरुस्ती का निवेदन किया तो उन्होंने इनकार करते हुए माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी, इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादीगण वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में वादी क्रम 1 का नाम कालूलाल पुत्र परमानन्द के स्थान पर रामभरोस पुत्र परमानन्द तथा वादनी क्रम 2 का नाम कन्या बाई पुत्री परमानन्द के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री परमानन्द की घोषणा करवाकर खाते में दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणा व नाम दुरुस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 ब्ब्ड का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस भेजकर उसकी अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादी को अपने कब्जे व स्वामित्व की वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक़ अधिकारों व सरकारी कृषि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा तथा अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है । इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) ब्ब्ड का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 29/03/2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी से अपने खाते की आराजी में नाम दुरुस्ती करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा इनकार कर माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम

उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी ग्राम कुंजेड तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है । वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में वादी क्रम 1 का नाम कालूलाल पुत्र परमानन्द को दुरुस्त करते हुए उसके स्थान पर रामभरोस पुत्र परमानन्द तथा वादनी क्रम 2 का नाम कन्या बाई पुत्री परमानन्द के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री परमानन्द की घोषणा की जाकर उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की ।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी क तहत pw 1 से pw 2 रामभरोस पुत्र परमानन्द जाति धोबी निवासी कुंजेड हाल मुकाम मधुवन रिसोर्ट के पास हनुमान नगर बारां तथा रामकन्या बाई पुत्री परमानन्द पत्नी मुरारीलाल जाति धोबी निवासी कुंजेड हाल मुकाम बारां के शपथ पत्र पेश किये तथा शपथ पत्र pw 1 के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम एवं माल कुंजेड के खाता संख्या 50 की कुल किता 3 का रकबा 1.08 है0 आराजी में मेरा हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। जिसमें मेरा बचपन का नाम कालुलाल पुत्र परमानन्द जाति धोबी दर्ज हो रहा है जबकि मेरा वास्तवित नाम रामभरोस पुत्र परमानन्द जाति धोबी निवासी कुंजेड है। उक्त आराजी में में मेरा नाम कालूलाल पुत्र परमानन्द के स्थान पर रामभरोस पुत्र परमानन्द व वादनी क्रम 2 का नाम कन्या बाई पुत्री परमानन्द के स्थान पर रामकन्या पुत्री परमानन्द की घोषणा करवाकर खाते में दुरस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावें।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नृसिंहपुरा की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071—2074 के ख0नं0 335

रकबा 2.45 है0 आराजी शामलाती खाते किशनलाल पुत्र देवीलाल, नेना पुत्र देवीलाल, पुष्पाबाई पत्नि प्रभूलाल, भूलीबाई पत्नि कन्हैयालाल, भंवरलाल पुत्र देवीलाल के दर्ज खाता स्थित है। वादी कम संख्या 1, 2 व 6 के आधार कार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि इनके पिता का नाम बूचीलाल निवास स्थल बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां है (प्रदर्श 2, 4 एवं 9) । इसी प्रकार वादीगण द्वारा पेश अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2017 (प्रदर्श 11) के अनुसार भी वादीगण के पिता का नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल निवासी बडगांव तहसील अन्ता है। अपने अनुतोष के समर्थन में वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत बडगांव तहसील अन्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2022 एवं ग्राम पंचायत केरवालिया तहसील अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र 18.6.2022 पेश किये गये है। उक्त दोनों प्रमाणों पत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बूचीलाल पुत्र देवीलाल एवं किशनलाल पुत्र देवीलाल जाति बंजारा एक ही व्यक्ति के नाम है।

उक्त संबंध में pw1 , pw2 एवं pw3 के गवाह शपथ पत्रों का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भी वादी कम 1 ता 6 के पिता व वादी कम 7 ता 12 के नानाजी का वास्तविक नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल जाति बंजारा है और इनकी जमीन ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 हिस्सा 1/5 ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू में स्थित है।

वादीगण द्वारा 50 रू के स्टाम्प पर पेश शपथ पत्र के अनुसार उनके पिता का वास्तविक नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल बंजारा है जिसका स्वर्गवास दिनांक 09.06.2017 को हो चुका और वादीगण सजरा अनुसार उनके वारिसान है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी कम 1 ता 6 के पिता एवं वादी कम 7 ता 12 के नाना का सही नाम बूचीलाल पुत्र देवीलाल साबित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू के ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 आराजी के शामलाती खाते में वादी कम 1 ता 6 के पिता एवं वादी कम 7 ता 12 के नाना का किशनलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर बूचीलाल उर्फ किशनलाल पुत्र देवीलाल दर्ज करने के आदेश किये

जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
<u>बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)</u>

प्रकरण सं0 96/2020

उनवान

1. बाबूलाल आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
2. बृजमोहन आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
3. गुलाब बाई आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
4. कौशल्या आयु 46 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
5. मन्जू बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा
6. नर्मदा बाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व0 बूचीलाल जाति बंजारा निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी बडगांव तह0 अन्ता जिला बारां राज0।
7. कमल आयु 22 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
8. टीना आयु 20 वर्ष पुत्री प्रभूलाल जाति बंजारा
9. मुस्कान आयु 17 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जर्येवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
10. रेणू आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जर्येवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
11. बिन्दिया आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जर्येवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा
12. ज्योति आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रभूलाल नाबालिग जर्येवली पिता प्रभूलाल जाति बंजारा निवासीगण कसार तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>
<u>बाबत खातेदारी घोषणा एवं नाम दुरस्ती हेतु</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....र..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू के ख0नं0 335 रकबा 2.45 है0 आराजी के शामलाती खाते में वादी क्रम 1 ता 6 के पिता एवं वादी क्रम 7 ता 12 के नाना का किशनलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर बूचीलाल उर्फ किशनलाल पुत्र देवीलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)